मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
(मूल-क्षेत्राधिकार)
कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
तथा
मैसर्स नर्मदा प्लास्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड (परिसमापन-में) के सम्बन्ध में
कंपनी याचिका क्र. 10/2007

मैसर्स नर्मदा प्लास्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड (परिसमापन–में) के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों को एतद् सूचित किया जाता है कि, शासकीय समापक इंदौर ने उपरोक्त कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के समक्ष विघटन–प्रस्ताव रखने हेतु निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति, अंशदायी, लेनदार, मजदूर, सरकारी प्राधिकरण या कोई अन्य व्यक्ति/संस्थान जिन्हें उक्त प्रकरण में रूचि हो या कोई भी व्यक्ति जो उक्त कंपनी के विघटन से असंतुष्ट हो, इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर, कार्यालय शासकीय समापक, प्रथम तल, ओल्ड सी.आई.ए. बिल्डिंग, जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (म.प्र.) में संपर्क कर सकते है। इस कंपनी के विघटन के संबंध में कोई भी आपत्ति/शिकायत या मुकदमा, यदि सूचना में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद किया जाता है, तो भविष्य में इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ते/-

इंदौर, दिनांक 30 अगस्त, 2019

(सीताराम शरण गुप्ता, आईसीएलएस)
शासकीय समापक
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश
जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर।

दैनिक भास्कर 02-09-2019

IN THE HIGH COURT OF M.P., JABALPUR
(ORIGINAL JURISDICTION)

In the matter of The Companies Act, 1956.
And
In the matter of :-

M/s. Narmada Plastics Pvt. Ltd. (In-Liqn.)
Company Petition no. 10/2007.

NOTICE is hereby given to all concerned in respect of **M/s. Narmada Plastics Pvt. Ltd. (In-Liqn.)** that, The Official Liquidator, Indore has earmarked the above company for dissolution u/s.481 of The Companies Act, 1956 before the Hon'ble High Court of M.P., Jabalpur. Any person, contributory, creditor, workmen, Government authorities or any other person/organization interested or any person who has reason to get aggrieved by the dissolution of the said company may approached the office of The Official Liquidator, Indore, 1st Floor, OLD CIA, Building, Opposite GPO, Residency Area, Indore (M.P.), within 15 days of the publication of this notice. Any objection/complaint or any litigation in respect to the dissolution of the said company, if raised after the expiry of the period stipulated in the notice shall not be entertained by this office in future.

Sd/-

Indore, dated 30th day of August, 2019

(SITARAM S. GUPTA, ICLS)
OFFICIAL LIQUIDATOR
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
JABALPUR, INDORE & GWALIOR

SAIL REFRACTORY COMPANY LIMITED

E.T. 02-9-2019